रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 94] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 20, 2018/फाल्गुन 1, 1939
No. 94] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 20, 2018/PHALGUNA 1, 1939

IndiaCode

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2018

का.आ. 178(अ).—मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम भारत सरकार में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं0 सा.का.नि. 1432(अ), तारीख 20 नवम्बर, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में उनके द्वारा संभाव्य प्रभावित सभी व्यक्तियों द्वारा उस तारीख से जब प्रारूप नियमों से अंतर्विष्ट उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करवाई गई थी, से तीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किए गए थे;

उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनसाधारण को 20 नवम्बर, 2017 को उपलब्ध करा दी गई थी;

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में जनसाधारण से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए;

अतः, केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (प्रथम संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगें।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 115 में, उप–नियम 20 के पश्चात्, एक नया उप–नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :–

'' (21) 1 अप्रैल, 2020 से पहले निर्मित उत्सर्जन मानक भारत स्टेज–प्ट वाले नये मोटर वाहनों का पंजिकरण 30 जून, 2020 के बाद नहीं किया जाएगाय

परन्तु 1 अप्रैल, 2020 से पहले निर्मित प्रवर्ग एम और प्रवर्ग एन के उत्सर्जन मानक भारत स्टेज–IV वाले नये मोटर वाहन जो कि ड्राईव अवे चैचिस के रूप में बेचे गये हों, 30 सितम्बर, 2020 के बाद पंजिकृत नहीं होंगें।''

[फा. सं. आर.टी.11028/16/2017–एम.वी.एल.]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम सा.का.नि. 590 (अ), तारीख 02 जून, 1989 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 1482 (अ), तारीख 07.12.2017 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th February, 2018.

G.S.R. 178(E).—Whereas, the draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989 were published, as required by sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 1432(E), dated the 20th November, 2017, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section (3), Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the official Gazette containing the draft rules were made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 20th November, 2017;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (First Amendment) Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicle Rules, 1989, in rule 115, after sub-rule (20), the following sub-rule shall be inserted, namely: -

"(21) New motor vehicles conforming to Emission Standard Bharat Stage-IV, manufactured before the 1st April, 2020 shall not be registered after the 30th June, 2020:

Provided that the new motor vehicles of categories M and N conforming to Emission Standard Bharat Stage-IV, manufactured before the 1st April, 2020 and sold in the form of drive away chassis, shall not be registered after the 30th September, 2020.".

[F. No. RT-11028/16/2017-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide* notification number G.S.R. 1482(E) dated the 7th December, 2017**.**

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2018.02.21 20:09:32 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.